प्रथ. निर्णय दिनांक 30-7-2019
गुण्डा एक्ट प्रकरण सं. 4/2012
सरकार बनाम श्री जयन्तिलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.7.2019	ए.पी.पी. प्रथम उपस्थित। गैरसायल के वकील अनुपस्थित। थानाधिकारी ,पुलिस थाना भीनमाल के पत्रांकःपी एस बी./2019/5190 दिनांक 23.7.2019 से रिपोर्ट प्राप्त हुई कि गैरसायल जयन्तिलाल पुत्र किस्तुरजी,जाति घांची,निवासी धोराढाल भीनमाल की मृत्यु दिनांक 31.3.2019को हो चुकी हैं,रिपोर्ट के साथ मृत्यु प्रमाणपत्र की फोटो प्रति व गैरसायल के पिता किस्तुराराम के बयान जो थानाधिकारी पुलिस थाना भीनमाल द्वारा लिये गये है, प्राप्त हुए है। सायल की ओर से ए.पी.पी.प्रथम ने भी गैरसायल फौत होने से उसके विरूद्व 2/3राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की कार्यवाही समाप्त करने का निवेदन किया। मृतक व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है,अतः गैरसायल जयन्तिलाल पुत्र किस्तुरजी,जाति घांची, निवासी धोराढाल भीनमाल के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 2/3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण 1975के तहत् कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 30.7.2019को सुनाया गया। (छगनलाल गोयल) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जालोर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.18 16:22:50 IST
Reason: SelfAttested